कार्यालय ज़िला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर।

====

आदेश क्रमांक जी2/2001/1733-62 दिनांक 01-03-2001

दशमेश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कपालमोचन, यमुनानगर को कक्षा पहली से पांचवी तक शिक्षा कोर्ड में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये स्थाई मान्यता तत्काल प्रभाव से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेगें और सरकार/विभाग से किसी पद या ग्रांट की मांग नहीं करेगें।

2. विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी की गई हिदायतों एंव शर्तों तथा एजूकेशन कोड की धारा 214 से 237 के तहत सभी नियमों एव शर्तों को मानने के लिए बाध्य होगा।

3. विद्यालय स्टाफ का वेतन समय-2 पर संशोधन होने पर नियमानुसार संशोधित राशि जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर के नाम से विद्यालय के छ: माह के वेतन के बराबर की राशि प्लिज करवाने को बाध्य होगा।

4. भावी नियुक्तियां विभाग/सरकार द्वारा जारी नियमानुसार ही की जायें तथा नियुक्ति करते समय आरक्षण नीति का भी ध्यान रखा जायें।

5. स्टाफ का सी०पी०एफ० सरकार के नियमानुसार चालू किया जायें।

6. पदों का शेयर नियमानुसार इस कार्यालय को भेजें तथा विद्यालय का का आर्ि आडिट विभागीय नियमानुसार करवाया जायें।

7. स्टाफ को वेतन क्रास चैक द्वारा दिया जायें।

यदि विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा जारी आदेशों की पालना नहीं करेगा तो मान्यता किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

8 संस्था को सी०डब्ल्यू०पी० नं० 2639/95 विनोद कुमार बनाम हरियाणा सरकार के माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना करेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
यमुनानगर। 01/03/01

पृ० क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़।
2. सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी जिला यमुनानगर स्थित
3. सभी जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य में।
4. प्रबन्धक सम्बन्धित विद्यालय दशमेश वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कपालमोचन, यमुनानगर।
5. अनुभाग अधिकारी इस कार्यालय में।
6. प्रबन्धक समिति विद्यालय । दशमेश वरि०मा०वि० कपालमोचन।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
यमुनानगर।

Scanned with CamScanner